भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 289
उत्तर देने की तारीख: 27.11.2024

अल्पसंख्यक छात्रों से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन

†289. श्री अमरा राम:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यक छात्रों से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कब आमंत्रित किए गए थे और इस संबंध में कितना कोटा निर्धारित किया गया था; और
(ख) विभाग को अब तक प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या का राज्य-वार और अल्पसंख्यक समुदाय-वार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (ख): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह (6) केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है, जिनके नाम हैं (i) मैट्रिक-पूर्व, (ii) मैट्रिकोत्तर और (iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति। आम तौर पर आवेदन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल हर साल जुलाई-अगस्त के महीने में उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि, चूंकि इस योजना को 2021-22 से आगे लागू करने की मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए कोटा तय नहीं किया गया है। वैसे तो, 2023-24 के लिए आवेदन भी आमंत्रित नहीं किए गए हैं।

******